सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 184ए/2018

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. नाथू पुत्र रघुनाथ जाति खारोल
2. सायरी पुत्री रघुनाथ जाति खारोल
3. घीसी पत्नि गोपाल जाति खारोल
4. पप्पू पुत्र गोपाल जाति खारोल
5. सम्पति पुत्री गोपाल जाति खारोल

समस्त निवासीगण कुशायता तहसील सावर जिला अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सावर तह. सावर जिला अजमेर

अप्रार्थी

2. सोसर पत्नि जगन्नाथ
3. रसाल पुत्री जगन्नाथ
4. प्रेमपुत्री श्री जगन्नाथ
5. सत्यनारायण पुत्र भागूता
6. रेखा पुत्री भागूता
7. पुष्पा पुत्री भागूता

तमाम जाति खारोल निवासी कुशायता तहसील सावर जिला अजमेर ।

प्रफॉर्मा अप्रार्थीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–18.6.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण व प्रफॉर्मा अप्रार्थीगण 2 लगाय 7 कुशायता के मूल निवासी है। दोनो पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी आराजीयात वादी वाके ग्राम/कस्बा कुशायता तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित के खाता नम्बर 345 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1385,1388 कुल किता 2 रकबा क्रमशः 0.67, 0.47 है. की पत्थरगढी हेतु वादी ने दावा पेश किया है वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण व प्रफॉर्मा अप्रार्थीगण के खातेदार कब्जे,काश्त स्वामित्व व आधिपत्य में चली आ रही है। 2 लगायत 7 प्रफॉर्मा अप्रार्थीगण पडोसी खातेदार है। मौके पर पडोसीयो से सीमा विवाद के कारण आपस मे झगडा फसाद होने का अंदेशा बना रहता है। वादग्रस्त आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया आज दिनांक को केम्प कोर्ट में पेश हुयी। पत्रावली में पैरोकार सरकार से जवाब प्राप्त किया । प्राप्त जवाब सरकार शामिल पत्रावली किया गया। उक्त प्राप्त जवाब सरकार अनुसार राजस्व जमाबन्दी ग्राम कुशायता की जमा.स. 2073–74 के खसरा नम्बर 345 के खसरा नम्बर 1385,1388 पर सह खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है।प्रफॉर्मा अप्रार्थीगण 2 लगायत 7 उक्त वर्णित खसरानम्बर के पडोसी न होकर सह खातेदार दर्ज है। जो अस्वीकार है अतः पत्रावली में प्रार्थी ने उक्त तथ्य छुपाया है जिससे पत्रावली अस्वीकार योग्य है।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया जिसमें वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी होने से एंव प्रार्थनापत्र में उक्त तथ्य छुपाने प्रार्थना पत्र प्रार्थी का प्रेमाफैसाई केस होना नहीं पाया जाता है। प्रार्थना पत्र का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में होना जाहिर नही होता है।

अतः वादी का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में ग्राम ग्राम/कस्बा कुशायता तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित के खाता नम्बर 345 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1385, 1388 कुल किता 2 रकबा क्रमशः 0.67, 0.47 है. भूमि का पत्थरगढी किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र जवाब सरकार अनुसार अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनाक 18.6.2018 को पृथक से लिखाया जाकर निर्णय शामिल पत्रावली किया । निर्णय मजमें आम में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी